"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36 | रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 सितम्बर 2003—भाद्र 14 शक 1925

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

राज्य सेवा परीक्षा-2003

विज्ञापन क्रमांक-04/2003/परीक्षा/4-7-2003	आयोग कार्यालय में आवेदन-पत्र
प्रारंभिक परीक्षा की तिथि-02 नवम्बर, 2003	प्राप्त होने की अंतिम तिथि-21 अगस्त, 2003

(अ) प्रथम प्रश्नपत्र-सामान्य अध्ययन : प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक

(ब) द्वितीय प्रश्नपत्र-ऐच्छिक विषय : अपरान्ह 3.00 बजे से 5.00 बजे तक

एक – छत्तीसगढ़ के असाधारण राजपत्र दिनांक 9-6-2003 में सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधीन नियम 1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 02-11-2003 को आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र, आमंत्रित किये जाते हैं. यहां इस परीक्षा के नियम, आवेदन-पत्र सहायता निर्देशों सहित प्रकाशित किये जा रहे हैं.

दो – राज्य सेवा परीक्षा नियम के परिशिष्ट-एक में परीक्षा योजना, परिशिष्ट-दो में प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम, परिशिष्ट-तीन में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम का उल्लेख है. परिशिष्ट-चार में आवेदन-पत्र भरने के सहायता निर्देश (भरे हुए डमी आवेदन-पत्र सहित) का उल्लेख है. **आवेदन-पत्र भरने के पूर्व आवेदक स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता है अथवा नहीं**. यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उनकी उम्मीदवारी/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा.

तीन – इस परीक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए चयन किया जाएगा. (देखिए परीक्षा नियम 1)

स. क्र.	पद तथा विभाग का नाम	(अ) कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				(ब) (अ) में बताई गई रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				(स) विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित		
		अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	पद विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	राज्य सिविल सेवा (उप जिलाध्यक्ष) सामान्य प्रशासन विभाग	7	2	3	1	2	1	1	–	–	–	13
2.	राज्य पुलिस सेवा (उप पुलिस अधीक्षक) गृह विभाग	5	2	2	1	1	1	1	–	–	–	10
3.	राज्य लेखा सेवा (लेखा अधिकारी) वित्त विभाग	10	3	3	2	3	1	1	1	1 (अ.जा.)	–	18
4.	वाणिज्यकर अधिकारी वाणिज्यकर विभाग	5	2	2	1	1	1	1	–	–	–	10
5.	जिला आबकारी अधिकारी आबकारी विभाग	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	04
6.	जिला पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01
7.	सहायक संचालक जनसंपर्क जनसंपर्क संचालनालय	6	2	2	1	2	1	1	–	–	–	11
8.	जिला महिला एवं बाल विकास अधि. महिला एवं बाल विकास विभाग	5	2	2	1	1	1	1	–	–	–	10
9.	सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा वित्त एवं योजना विभाग	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	04
10.	परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग	16	4	6	4	5	1	2	1	1 (अ. जा.)	–	30
11.	अधीनस्थ सिविल सेवा (नायब तहसीलदार) राजस्व विभाग	7	2	3	1	2	1	1	–	–	–	13
12.	वाणिज्य कर निरीक्षक वाणिज्य कर विभाग	3	1	2	1	1	–	1	–	–	–	07
13.	आबकारी उप-निरीक्षक आबकारी विभाग	23	7	10	6	7	2	3	2	–	–	46
		92	29	37	19	27	10	13	04	02	–	177

टीप :- (1) यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद, उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रणीत, (carry forward) नहीं किये जायेंगे. ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिये वे आरक्षित हैं.

टीप :- (2) पदों की संख्या शासन से प्राप्त सूचना के आधार पर परिवर्तनीय रहेगी. विज्ञापित पदों के अलावा नियम 1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों की रिक्तियों की सूचना चयन के पूर्व किसी भी चरण में शासन से प्राप्त होने पर ऐसी रिक्तियां इस विज्ञापन के अंतर्गत शुद्धिपत्र द्वारा प्रकाशित की जायेंगी. परन्तु ऐसे रिक्त पदों के लिए पृथक् से आवेदन-पत्र आमंत्रित नहीं किये जायेंगे तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन-पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे.

टीप :- (3) उपर्युक्त टीप (2) में उल्लेख अनुसार संभावित प्राप्त पदों की रिक्तियों में से यदि विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की केवल संख्या शासन द्वारा सूचित की जायेगी तो विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिक के पद के विरुद्ध अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग में से जिस श्रेणी के आवेदक का चयन होगा उसे हॉरीजेन्टल आरक्षण के अनुरूप उस श्रेणी के अंतर्गत माना जायेगा.

विकलांगों के आरक्षण संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 8-2/96/आ. प्र. दि. 30 मई 1997 के अनुसार एवं संबंधित विभाग (वित्त/म. बा. वि. विभाग) से अपेक्षित अस्थिबाधित प्रकार के विकलांग शासन नियमानुसार विचारणीय होंगे.

चार - (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित है. अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचारित किये जायेंगे, आरक्षित पदों के विरुद्ध नहीं.

(2) छत्तीसगढ के ऐसे मूल निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं वे आवेदन-पत्र में अपना वर्ग अंकित करें. जिन पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है उन मामलों में आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अनारक्षित पद के लिये, यदि अनारक्षित पद विज्ञापित हुए हैं तो अनारक्षित उम्मीदवार के साथ विचारित किये जायेंगे.

पांच - पदों का वेतनमान -

पद क्रमांक 1 से 9 के लिये रुपये 8000-275-13500/-

पद क्रमांक 10 के लिये रुपये 5500-175-9000/-

पद क्रमांक 11 से 13 के लिए रुपये 4500-125-7000/

निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भता एवं अन्य भत्ते देय होंगे.

छः - (अ) प्रारंभिक परीक्षा के केन्द्र

कोड नंबर	परीक्षा केन्द्र का स्थान
01	अंबिकापुर
02	बस्तर
03	बिलासपुर
04	धमतरी
05	दुर्ग
06	दंतेवाडा
07	जांजगीर-चांपा
08	जशपुर
09	कवर्धा
10	कांकेर
11	कोरबा
12	कोरिया
13	महासमुन्द
14	रायपुर
15	रायगढ़
16	राजनांदगांव

(ब) मुख्य परीक्षा के केन्द्र

कोड नंबर	परीक्षा केन्द्र का स्थान
01	बिलासपुर
02	रायपुर

जो आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, वे ही आवेदन-पत्र में संबंधित परीक्षा केन्द्र के कोड/खाना को भरें [illegible] आवेदक छत्तीसगढ के मूल निवासी नहीं हैं, वे कोड खाना को रिक्त छोड दें.

आयोग उपलब्ध स्थान के अनुसार उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्र आवंटित करेगा. आयोग के लिये यह आवश्यक एवं बंधनकारी नहीं है कि आवेदक द्वारा मांगा गया परीक्षा केन्द्र ही आवंटित किया जाये. परीक्षा केन्द्र की क्षमता एवं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से आयोग परीक्षा केन्द आवंटन करेगा. आयोग निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में कमी या वृद्धि भी कर सकता है. उम्मीदवारों को नोट करना चाहिये कि केन्द्र परिवर्तन हेतु उनके अनुरोध को सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जायेगा

सात - प्रत्येक उम्मीदवार का केवल एक आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जायेगा. किसी उम्मीदवार के एक से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसके सभी आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त किये जा सकते हैं. अतः आवेदन पत्र के लिफाफे पर प्रेषक के स्थान पर आवेदक का पूरा नाम तथा पता लिखना अनिवार्य होगा.

आठ - मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर जो आवेदक मुख्य परीक्षा के लिये पात्र घोषित किये जायेंगे

उन्हें इस निमित्त निर्धारित प्रपत्र में पुनः आवेदन करना होगा, जिसे प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ ही प्रकाशित किया जाएगा. आवेदकों को प्रारंभिक परीक्षा हेतु आवेदन में दर्शाये पते पर ही प्रवेश पत्र भेजे जायेंगे.

नौ – न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता : उम्मीदवार के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हताएं होनी चाहिये.

टीप (एक) : उम्मीदवार जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हों जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे उम्मीदवार जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठना चाहते हों वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे. ऐसे समस्त उम्मीदवारों से जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिये अर्ह घोषित किये गये हों मुख्य परीक्षा के लिये अपने आवेदन-पत्र के साथ वांछित परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी.

टीप (दो) : ऐसे उम्मीदवार भी जिनके पास ऐसी व्यवसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हो जो राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे.

[नियम-5 (ख) देखिए]

दस—आयु की गणना एवं छूटें : **आयु की गणना 1 जनवरी, 2004 के सन्दर्भ में की जायेगी.**

आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूटें-

1. राज्य आरक्षी सेवा के उप अधीक्षक पुलिस के पदों के आवेदकों के लिये आयु सीमा, आयु सीमा में छूटें और शारीरिक मानक निम्नानुसार होगा :-

(अ) **आयु सीमा**–आवेदक द्वारा 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो, किन्तु 25 वर्ष की आयु पूर्ण न की गई हो.

छ. ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2002/1/3 दि. 23-4-2003 एवं छ. ग. शासन गृह विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-2/104/रापुसे/गृह/दो/03 रायपुर, दिनांक 3-6-2003 के अनुसार **उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 20 से 25 वर्ष ही निर्धारित की गई है.** पुलिस विभाग में सीधी भरती के पदों हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भरती तथा पदोन्नति नियम, 2000 के अनुसार ही नियत आयु सीमा लागू रहेगी.

(आ) (एक) आयु सीमा में छूटें :-

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी, अर्थात् आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.

2. कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, अर्थात् आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.

3. छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी.

4. कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया हुआ सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो, कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण : शब्द ''छटनी किया गया सरकारी सेवक'' से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की सरकारी सेवा में निरंतर कम से कम छः मास की कालावधि तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो.

5. स्वयंसेवी होमगार्ड के मामले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिये 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

6. विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी, अर्थात् उनकी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट-

1. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी, अर्थात् इनकी आयु 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

2. आदिमजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी अर्थात् इनकी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

3. विक्रम पुरस्कार धारण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी, अर्थात् इनकी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

टीप : (1) उपरोक्त कंडिका के बिन्दु क्रमांक (एक) में उल्लेखित वर्गों में से यदि आवेदक शासन द्वारा भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये

निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित छूट का लाभ प्राप्त होगा.

(2) बिन्दु क्रमांक (दो) में उल्लेखित प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों के आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये देय छूट मिलेगी, यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी.

(ई) राज्य आरक्षी सेवा के उप अधीक्षक पुलिस के आवेदकों के लिये निम्नानुसार शारीरिक मापदंड निर्धारित है :-

(क) ऊंचाई - 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक : (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये).

(ख) सीना - बिना फुलाये 84 सेंटीमीटर, फुलाने पर 89 सेंटीमीटर, अभ्यर्थी के बगैर फुलाये हुए और फुलाये हुए सीने के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, इस मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी. महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीने का माप अपेक्षित नहीं है.

(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से **विकलांग नहीं** होना चाहिए.

(घ) अभ्यर्थी चिकित्सीय दृष्टि से योग्य (मेडीकली फिट) होना चाहिये और दृष्टि जांच (विजन टेस्ट) में अल्पदृष्टि नहीं होनी चाहिए. उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए. उसे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए.

(ङ) सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थी, यदि वे ये मापदंड पूर्ण नहीं करते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे.

2. उप पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य पदों के लिये निर्धारित आयु सीमा निम्नानुसार है :-

आयु सीमा - आवेदक द्वारा 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो किन्तु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की गई हो [परीक्षा नियम 5 (ग) (अ) देखें].

(अ) उपर्युक्त आयु सीमा में छूट के प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

(1) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1/3 रायपुर, दिनांक 13-2-2003 एवं इसी विभाग के परिपत्र क्रमांक-एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर, दिनांक 17 जून 2003 के द्वारा विभिन्न पदों पर भरती की आयु सीमा में 05 (पांच) वर्ष की विशेष छूट का लाभ दिया गया है **यह विशेष छूट केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों को ही दिया जाना है.** जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग इत्यादि, उन्हें भी इस आदेश के अंतर्गत आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा. अर्थात् इन वर्गों के उम्मीदवारों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये समस्त छूट मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा : (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दस वर्ष की छूट दी गई है. महिला उम्मीदवारों को यह छूट अन्य सभी छूटों के अतिरिक्त होगी. यह छूट विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं को भी उन्हें पूर्व से प्राप्त छूट के अतिरिक्त मिलेगी. इस परिप्रेक्ष्य में अधिकतम आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी :-

1.	अनारक्षित महिला आवेदक	30+10+5=45
2.	अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की महिला आवेदक.	30+10+5+5=50
3.	विधवा, परित्यक्ता (अनारक्षित)	30+10+5+5=50
4.	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला (आरक्षित) आवेदक.	30+10+5+5+5=55

इस विशेष छूट का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के निवासी उम्मीदवारों को ही दिया जायेगा.

(2) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य एवं छत्तीसगढ़ के निवासी 'अन्य पिछड़ा वर्ग' के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के समान अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जायेगी. इस प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये भी समस्त छूट मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी.

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा : (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की आयु, विहित उच्चतम आयु सीमा के साथ-साथ 10 वर्ष शिथिलनीय होगी.

टीप - (1) किन्तु ऐसी महिला आवेदन के लिए पात्र नहीं होगी जिसकी आयु सब छूट जोडकर पद की अधिवार्षिकी आयु के बराबर हो जाये.

(2) महिलाओं के लिए पद आरक्षित नहीं होने की दशा में भी आयु सीमा में उक्त छूट की पात्रता होगी.

(3) अधिकतम आयु में छूट राज्य सेवा परीक्षा के नियम-5 (ग) (आ) में भी वर्णित है. यह छूट दो प्रकार की है.

(एक) वर्ग विशेष के लिये छूट : इसके अंतर्गत राज्य सेवा **परीक्षा नियम** 5 (ग) (आ) की छूट क्रमांक (एक), (दो), (तीन), (चार) तथा (आठ) से (सत्रह) तक की छूटें सम्मिलित है.

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट :- इसमें **राज्य सेवा परीक्षा नियम** 5 (ग) (आ) की छूट, क्रमांक (पांच), (छः) तथा (सात) सम्मिलित है.

उपरोक्त कंडिका के बिन्दु क्रमांक (एक) में उल्लेखित वर्गों में से यदि कोई आवेदक शासन द्वारा भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसके अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित छूट का लाभ प्राप्त होगा.

बिन्दु क्रमांक (दो) में उल्लेखित प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों के आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये देय छूट मिलेगी, यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी.

जिला आबकारी अधिकारी तथा आबकारी उप निरीक्षक के पद हेतु शारीरिक मापदंड :-

जिला आबकारी अधिकारी हेतु-

(क) ऊंचाई - 163 सेंटीमीटर या उससे अधिक

(ख) सीना - बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर या उससे अधिक तथा फुलाने पर 84 सेंटीमीटर या अधिक.

आबकारी उप निरीक्षक हेतु -

(क) ऊंचाई - 165 सेंटीमीटर या उससे अधिक तथा महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर या अधिक.

(ख) सीना - पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 86 सेंटीमीटर.

ग्यारह : परीक्षा एवं आवेदन शुल्क - (अ) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो छत्तीसगढ के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी में आते हैं, के लिये आवेदन शुल्क रुपये 25.00 (रुपये पच्चीस) तथा परीक्षा शुल्क रुपये 50.00 (रुपये पचास) **कुल रुपये 75.00 (रुपये पचहत्तर)** देय होंगे.

(ब) शेष सभी श्रेणी के एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिये आवेदन शुल्क रुपये 50.00 (रुपये पचास) तथा परीक्षा शुल्क रुपये 100.00 (रुपये एक सौ) **कुल रुपये 150.00 (रु. एक सौ पचास)** देय होंगे.

उपर्युक्त शुल्क आयोग द्वारा बैंक ड्राफ्ट द्वारा निम्नानुसार स्वीकार किया जायेगा :-

1. बैंक ड्राफ्ट द्वारा - बैंक ड्राफ्ट सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के नाम से बनवाकर भेजा जावे जो कि भारतीय स्टेट बैंक, कचहरी शाखा, रायपुर पर देय (payable) हो, अर्थात् परीक्षा का आवेदन शुल्क आवेदन-पत्र के साथ भेजे जाने वाला बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक, कचहरी शाखा, रायपुर, शाखा कोड क्र. 03314 रायपुर पर देय (payable) होना चाहिये. यह बैंक ड्राफ्ट किसी भी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी किया जा सकता है. आवेदक बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना पूरा नाम, जारी करने वाले बैंक एवं ब्रान्च का पूरा नाम, पता तथा "राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2003" अवश्य लिखें.

अत्यन्त आवश्यक - 1. बैंक ड्राफ्ट भेजने के पहले उसका भलीभांति परीक्षण कर कृपया संतुष्टि करलें कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी नहीं है. **त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण बैंक ड्राफ्ट पाये जाने की दशा में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा.**

2. रायपुर के बैंकों से बैंकर्स चैक के माध्यम से भी प्रदत्त शुल्क स्वीकार किया जा सकेगा.

ई - **(एक)**-आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदकों को वापिस किया जायेगा-

(1) आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये अथवा (2) किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये.

(दो) निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त तथा निरस्त किये गये आवेदन-पत्रों के शुल्क नहीं लौटाये जायेंगे. इसलिये आवेदकों के लिये सुझाव है कि अन्तिम तिथि तक प्रतीक्षा करने के बजाये उससे काफी पहले आवेदन-पत्र भेजना उनके हित में होगा.

नोट : उपरोक्त शुल्क केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिये हैं. मुख्य परीक्षा के लिये पात्र आवेदकों को निर्धारित आवेदन एवं परीक्षा शुल्क मुख्य परीक्षा हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन-पत्र के साथ आयोग को भेजना आवश्यक होगा. मुख्य परीक्षा के लिये निर्धारित आवेदन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क संबंधी जानकारी निर्धारित आवेदन-पत्र सहित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ "रोजगार और नियोजन" में यथा समय आयोग द्वारा प्रकाशित की जायेगी.

महत्वपूर्ण :- निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक (केवल रायपुर), आवेदन-पत्र के साथ भेजना आवश्यक है इसके अभाव में अथवा बैंक ड्राफ्ट (या बैंकर्स चैक) में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आवेदन-पत्र आयोग द्वारा मान्य नहीं किया जायेगा.

बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट की तिथि से, आवेदन-पत्र अंतिम तिथि के पूर्व पहुंचा है, पुष्टि नहीं की जायेगी. आवेदन-पत्र मय बैंक ड्राफ्ट के अंतिम तिथि की समय सीमा तक आयोग कार्यालय में पहुंचना अनिवार्य है.

बारह - आवेदन-पत्र के संबंध में :- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदन-पत्र "रोजगार और नियोजन" में दिया जा रहा है. प्रत्येक आवेदन-पत्र पर आवेदन पत्र क्रमांक अंकित होगा. आवेदक विज्ञापन के साथ दिये इस आवेदन-पत्र पर ही आवेदन करें. इस आवेदन-पत्र की टंकित/छायाप्रति मान्य नहीं होगी.

"रोजगार और नियोजन" में विज्ञापन के साथ दिये आवेदन-पत्र स्थानीय एजेन्ट्स के यहां उपलब्ध होंगे. कार्यालय छत्तीसगढ़ संवाद, पचपेड़ी नाका, धमतरी रोड, रायपुर में भी विज्ञापन अंक (आवेदन-पत्र सहित) अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेंगे.

तेरह - आवेदन कैसे करें :-

1. सुविधा के लिये आवेदन-पत्र भरने हेतु सहायता निर्देश (भरे हुए डमी आवेदन-पत्र सहित) "परिशिष्ट चार" प्रकाशित किये जा रहे हैं.
2. आयोग किसी भी आवेदक को आवेदन-पत्र नहीं भेजेगा ना ही इस हेतु कोई पत्राचार स्वीकार करेगा.
3. संख्या लिखने में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों यथा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 का ही प्रयोग करें.

4. आवेदक अपने फोटो की तीन प्रतियां बनवा लें क्योंकि इस परीक्षा के विभिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग में आने वाली फोटो में कोई अंतर नहीं होना चाहिए. फोटो के नीचे दिये खाने में आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं.

5. जो आवेदन-पत्र अधूरे या गलत भरे हुए होंगे उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा और उनके संबंध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी. अतः सावधानीपूर्वक ''सहायता-निर्देश'' पढ़कर ही आवेदन-पत्र भरें.

चौदह - आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि विज्ञापन के अनुसार वे सभी आवश्यक अर्हताएं एवं आयु सीमा पूर्ण करते हैं तथा आश्वस्त हो लें कि आवेदन-पत्र की सभी प्रविष्टियां विज्ञापन के अनुसार सही-सही की गई है. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे विज्ञापन में निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करलें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें. परीक्षा में प्रवेश देने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र अस्वीकार कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी.

पन्द्रह - आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र के कालम 15, 16 एवं 17 में वैकल्पिक विषयों के भरे जाने वाले कोड नंबर विज्ञापन के साथ प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम के परिशिष्ट-एक में अंकित है. तद्नुसार ही आवेदन-पत्र में वैकल्पिक विषय/विषयों के कोड नंबर का उल्लेख करें.

सोलह - विज्ञापन में प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के समक्ष कोड नंबर का उल्लेख किया गया है तद्नुसार आवेदन-पत्र में कोड नंबर का उल्लेख करें. कृपया तालिका देखकर ही कोड क्रमांक भरें.

सत्रह : नियोक्ता की अनापत्ति :- सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी उपक्रम में हो या किसी प्रकार से अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन-पत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिये. अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन-पत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह आयोग में देर से पहुंचा हो तो उस आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा. भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख से पहले प्रस्तुत किया गया हो.

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, उनको अथवा लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत हैं, उनको यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है. उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उसके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी.

अठारह - प्रवेश-पत्र

1. इसके लिये परीक्षा नियम 12 देखें.

2. उन सभी आवेदकों को जिनके पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 21-8-2003 को सायंकाल 5.30 बजे तक पहुंच जायेंगे उन्हें प्रवेश पत्र साधारण डाक से भेजा जायेगा.

3. यदि दिनांक 15-10-2003 तक किसी आवेदक को आयोग से भेजा गया प्रवेश पत्र प्राप्त न हो तो वे इसके तत्काल पश्चात् आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें. आयोग कार्यालय से उन्हें प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति दी जायेगी. दिनांक 22-10-2003 के उपरान्त संपर्क करने वाले किसी उम्मीदवार को यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकेगी. परीक्षा केन्द्र की जानकारी किसी भी स्थिति में टेलीफोन पर नहीं दी जायेगी.

4. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्रों के आवेदकों के नाम नामिनल रोल में सम्मिलित नहीं होंगे.

5. यदि किसी आवेदक का नाम नामिनल रोल में सम्मिलित नहीं है, परन्तु उसे आयोग की ओर से प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है, तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें. केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे.

उन्नीस - यात्रा व्यय का भुगतान :- छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को जो कहीं सेवारत न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक है, परीक्षा में सम्मिलित होने पर छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा. आवेदकों को इसके लिए केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होंगे. अतः वे छत्तीसगढ़ के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की एक स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि घोषणा-पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें यात्रा व्यय दिया जावेगा.

उपरोक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक अपने निवास स्थान के निकटतम परीक्षा केन्द्र को ही भरें. उन्हें उनके निवास स्थान से निकटतम परीक्षा केन्द्र तक का ही यात्रा व्यय देय होगा.

बीस - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिये विज्ञापन में दी गई विभिन्न सुविधाएं **केवल छत्तीसगढ़ के निवासी तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये ही लागू

होगी. **अन्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्यार्थियों को अनारक्षित श्रेणी का माना जावेगा.** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के **''क्रीमीलेयर''** में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ नहीं मिलेंगे.

इक्कीस – आवेदक को आयोग में पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक, जन्मतिथि, परीक्षा केन्द्र तथा पूर्ण पता लिखना चाहिये.

बाईस – आवेदक आवेदन-पत्र में यथास्थान (1) स्वयं के फोटो के नीचे (2) घोषणा-पत्र में निर्देशानुसार हस्ताक्षर अवश्य करें, अन्यथा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा.

तेईस – यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना आयोग को तत्काल भेजी जाय. साथ में 11.5 सेंटीमीटर x 27.5 सेंटीमीटर आकार के परिवर्तित पता लिखे तथा पर्याप्त डाक टिकट लगे दो लिफाफे भी भेजे जाय. यद्यपि आयोग पता परिवर्तन के अनुसार कार्यवाही करने का पूरा प्रयास करता है, किन्तु इस मामले में आयोग कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता.

चौबीस – आवेदक की अर्हता/पात्रता-देखिए परीक्षा नियम-5, 9 एवं 14.

पच्चीस – दंड/शास्ति-देखिए परीक्षा नियम-14

परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक या प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे. अनुचित साधन का उपयोग का प्रयास करना, दी गई उत्तरपुस्तिका एवं प्रश्न-पत्र को क्षति पहुंचाना, धौंस झपट देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना, निरीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देश की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण आदि को दण्डनीय माना जायेगा.

महत्वपूर्ण –

छब्बीस – पहचान चिन्ह :- उत्तरपुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम, अनुक्रमांक लिखें. यदि उम्मीदवार उत्तरपुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक एवं/या अपना नाम लिखेंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाना माना जावेगा. ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी.

सत्ताईस – अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण जानकारी :- आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन-पत्र में दिये सभी गोले और खानों को भली प्रकार देखकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक सही और पूरी जानकारी भरें. जानकारी भरने हेतु निर्धारित गोले ◯ **काले करें एवं उससे ऊपर बने खाने [ ] में काले किए गए गोले का अंक लिखे. गोले ◯ या खाने [ ] में लिखे अंक/अंकों में फर्क आने पर खाने [ ] में लिखा अंक मान्य किया जायेगा.** यदि आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा त्रुटि या अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन-पत्र चयन के किसी भी स्तर पर अस्वीकृत किया जा सकेगा. गलत जाति प्रमाण-पत्र देने अथवा आवेदन-पत्र में जाति संबंधी गलत जानकारी भरने या अन्य त्रुटि होने पर भी आयोग चयन के किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी निरस्त कर सकेगा और आवश्यक सम्यक निर्णय ले सकेगा.

अट्ठाईस – लिखित परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को निर्धारित न्यूनतम अंकों में देय 10 प्रतिशत अंकों की छूट छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को भी दी जावेगी.

उनतीस – यह भी स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अनर्ह माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 273/268/2002/1-3 दिनांक 09-07-2002 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2003/1/3 दिनांक 27 जून 2003 के अनुसार तृतीय श्रेणी के पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ी भाषा (बोली) अथवा स्थानीय बोलियों का पर्याप्त ज्ञान होने पर साक्षात्कार में विशेष अंक दिए जायेंगे.

तीस – इस आयोग हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी राज्य सेवा परीक्षा नियम तथा परिशिष्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा) में उद्धत है.

इकतीस – अंतिम चयन सूची आयोग द्वारा जारी किये जाने के पश्चात् परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंक सूची आवेदकों को सामान्य डाक से उनके आवेदन-पत्र में दर्शाये पते पर भेजी जाती है, पहचान चिन्ह, अनुचित साधन प्रयोग, कम/अधिक आयु, गलत जानकारी इत्यादि देने वाले प्रकरणों के कारण जिन आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी उन्हें अंकसूची नहीं भेजी जाएगी. यह पूर्वानुमान किया जाता है कि आवेदक को अंकसूची प्राप्त हो गई है, किन्तु यदि किसी आवेदक को आयोग द्वारा भी भेजी गई अंकसूची किसी कारणवश प्राप्त नहीं होती है तो डुप्लीकेट अंकसूची प्राप्त करने के लिए रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने के लिए पर्याप्त डाक टिकिट लगा और स्वयं का पता लिखा लिफाफा तथा रुपये 25/- (पच्चीस रुपये मात्र) बैंक ड्राफ्ट सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर-492001 के नाम से भेजें डुप्लीकेट अंकसूची उन्हीं आवेदकों को भेजी जायेगी जिनके आवेदन, चयन परिणाम जारी होने के एक वर्ष के भीतर प्राप्त हो जायेंगे.

बत्तीस – आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है और इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी.

तैंतीस – यदि आवश्यक हुआ तो विज्ञापन के संबंध में सूचनायें

आयोग द्वारा ''रोजगार और नियोजन'' अथवा दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर यथा समय दी जावेगी.

चौंतीस – अंतिम तिथि तक तथा समय के भीतर आवेदन-पत्र आयोग के कार्यालय में पहुंचाने का उत्तरदायित्व आवेदक का है (परीक्षा नियम 15 देखिये). विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे. ऐसे आवेदक प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता अर्जित नहीं करेंगे. इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं का होगा. आवेदक आवेदन-पत्र डाक से भेज सकते हैं या आयोग कार्यालय के काउन्टर पर भी कार्यालयीन समय (प्रातः 10.30 से सायं 5.30 बजे तक) में प्रत्येक कार्यादिवस को अंतिम तिथि तक दे सकते हैं, जिसकी रसीद उसी समय दी जायेगी. डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र, अंतिम तिथि को सायं 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त होने पर ही अंतिम तिथि तक प्राप्त हुए माना जायेंगे. डाक में विलंब के लिये आयोग उत्तरदायी नहीं रहेगा. एक आवेदक से एक से अधिक आवेदन-पत्र नहीं लिये जायेंगे. एक लिफाफे में एक ही आवेदन-पत्र रखा जाये. लिफाफा 4" x 9" आकार का होना चाहिये. अन्यथा आवेदन-पत्र के निर्धारित मोड़ सही नहीं आयेंगे.

पैंतीस – मूल आवेदन-पत्र में एक बार की गई प्रविष्टियों को परिवर्तित, परिवर्धित अथवा संशोधित करने की अनुमति किसी भी अवस्था में नहीं दी जायेगी.

छत्तीस – आवेदन-पत्र की आयोग कार्यालय में प्राप्ति सूचना के लिये आवेदक कृपया रुपये 6/- (छः) के टिकट लगा, स्वयं का पता लिखा पोस्टकार्ड आवेदन-पत्र के लिफाफे में रखें. इसके अभाव में पंजीयन सूचना कार्यालय द्वारा भेजना संभव नहीं होगा.

सैंतीस – **अत्यन्त महत्वपूर्ण** – (अ) विकलांग/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को आवेदन-पत्र के साथ तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है. लिफाफे पर भी विकलांग/भूतपूर्व सैनिक लिखें. (ब) दृष्टिहीन तथा अन्य विकलांग आवेदकों को सी. एम. ओ. या सिविल सर्जन का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है. अशासकीय चिकित्सक का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा. दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न-पत्रों के लिये क्रमशः 20 मिनिट और 30 मिनिट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा. दृष्टिहीन आवेदकों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु आयोग कार्यालय से कम से कम 15 दिन पूर्व संपर्क करें. इसके लिये स्वयं उपस्थित होना आवश्यक नहीं है. **परीक्षा केन्द्र पर कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं की जायेगी.**

अड़तीस – राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु आयोग कोई प्रमाण-पत्र नहीं मंगवा रहा है. सभी प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना है. विकलांग/भूतपूर्व सैनिक ही केवल अपनी विकलांगता एवं भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के निर्धारित स्थान पर ही स्टेपल कर भेजेंगे.

उन्चालीस – आवेदक आवेदन-पत्र भेजते समय लिफाफे के ऊपर ''राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2003'' स्पष्ट रूप से लिखें और लिफाफे पर पता लिखने के स्थान पर विज्ञापन के अंत में दिया गया कूपन चिपकायें. इस विवरण के बगैर प्राप्त लिफाफे में प्राप्त आवेदन-पत्रों पर आयोग द्वारा कोई कार्यवाही की जानी संभव नहीं होगा.

आवेदन-पत्र निम्न पते पर भेजें –

सचिव,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
शंकर नगर रोड, रायपुर-492001
छत्तीसगढ़.

चालीस – विज्ञापित पदों का अग्रगान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय आवेदकों से प्राप्त किया जाता है तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में आवेदकों का चयन किया जाता है आवेदकों द्वारा अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत कर देने के पश्चात् उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जायेगा.

मुद्रण की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है.

सचिव

सूचना – निम्नांकित कूपन को काटकर या इसकी छायाप्रति आवेदन-पत्र के लिफाफा पर चिपकाएं.

यहां से काटिये

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2003

प्रति

सचिव,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
शंकर नगर रोड, रायपुर-492001
छत्तीसगढ़.

यहां से काटिये

परिशिष्ट-चार (04)

(आवेदन पत्र की छायाप्रति/टंकित प्रति मान्य नहीं होगी. रोजगार और नियोजन में उपलब्ध आवेदन-पत्र ही भरकर भेजें.)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2003 हेतु आवेदन-पत्र भाग-I

No. 000487	4/2003/परीक्षा 04-07-2003	
आवेदन-पत्र क्रमांक	विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक	अनुक्रमांक (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा.)

1. आवेदन-पत्र को गीला/गन्दा न करें. निर्धारित मोड पर ही मोड़ें.
2. आवेदन-पत्र भाग-2 (तीसरे मोड के नीचे) में निर्धारित स्थान पर ही बैंक ड्राफ्ट और विकलांग/भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र स्टेपल करें.
3. कृपया इस फार्म को भरने से पहले रोजगार और नियोजन में इस परीक्षा से संबंधित विज्ञापन तथा उसमें दिए गए समस्त निर्देश सावधानीपूर्वक पढ़ लें. कोई जानकारी गलत या अपूर्ण न दें.
4. मुख्य परीक्षा हेतु इस फार्म में दी गई जानकारी को आधार माना जायेगा.
5. गोल ◯ को काला करने के लिए सिर्फ नीले या काले बाल पेन का उपयोग करें.
6. बाक्स ☐ में लिखने के लिए नीले या काले बाल पेन का प्रयोग करें.
7. आवेदन-पत्र के लिए 4" x 9" लिफाफे का उपयोग करें.

1. नवीनतम फोटो चिपकायें. स्टेपल या पिन न करें. आकार : 3.5 x 4.5 सेन्टीमीटर

हस्ताक्षर इस बाक्स में ही करें

पहला मोड -- पहला मोड

2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में लिखें) नाम के दो भागों के बीच में एक बाक्स को खाली छोड़ें

R A M A N A N D   P R A S A D

S E N G U P T A

3. (a) माता का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम लिखें)

P R A B H A

3. (b) पिता का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम लिखें)

A M A R

4. (a) पति का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम लिखें)

4. (b) पत्नी का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम लिखें)

L A X M I

5. आवेदक का पता (अंग्रेजी में लिखें)

6. लिंग [1]
- पुरुष ●
- महिला ②

7. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं [1]
- हां ●
- नहीं ②

8. श्रेणी [1]
- अनारक्षित ●
- अजा ②
- अजजा ③
- अपिव ④

(केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत छूट पाने के पात्र होंगे)

दूसरा मोड -- दूसरा मोड

नाम RAMANAND PRASAD SENGUPTA

पता 1. वर्तमान : HOUSE NO.-B/414

SHANKER NAGAR

ग्राम/नगर RAIPUR जिला RAIPUR

राज्य CHHATTISGARH पिनकोड 4 9 2 0 0 1

2. स्थाई पता VILLAGE PATAN

ग्राम/नगर PATAN जिला DURG.

राज्य CHHATTISGARH पिनकोड 4 9 1 1 1 1

9. जन्म की तारीख

DD		MM		YY	
2	3	0	4	7	8
दिन		माह		वर्ष	

तीसरा मोड

आवेदन-पत्र भाग-II

आवेदन-पत्र क्रमांक No. 000487

बैंक ड्राफ्ट/विकलांग भूतपूर्व सैनिक प्रमाण-पत्र स्टेपल करने का स्थान

10. परीक्षा शुल्क का विवरण

1. आवेदक का नाम : रामानंद प्रसाद सेन गुप्ता
2. जन्म स्थान : ग्राम शहर रायपुर जिला रायपुर
   राज्य : छत्तीसगढ
3. क्या छत्तीसगढ के मूल निवासी है : हां
4. श्रेणी : अनारक्षित
5. राशि : 150/- (एक सौ पचास)
6. बैंक ड्राफ्ट क्रमांक : 00587 दि. 14-7-2003
   जारीकर्ता बैंक का नाम एवं कोड भारतीय स्टेट बैंक (रायपुर, कचहरी शाखा) 03314

(कृपया पृष्ठ भाग पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें)

प्रमाण-पत्र, आवेदन-पत्र भाग-II में दिये गये निर्धारित स्थान पर ही स्टेपल करें.

11. शारीरिक रूप से विकलांग हैं

1

हां ●

नहीं ②

यदि हां, तो बतायें

अस्थि बाधित ●

दृष्टिहीन ②

मूक वधिर ③

(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

12. भूतपूर्व सैनिक हैं

2

हां ①

नहीं ●

(प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

विज्ञापन देखकर सही कोड भरें.

13. प्रारंभिक परीक्षा केन्द्र कोड

0 3

विज्ञापन देखकर सही कोड भरें.

14. मुख्य परीक्षा केन्द्र कोड

2

विज्ञापन देखकर सही कोड भरें.

15. प्रारंभिक परीक्षा का वैकल्पिक विषय	
2	3

विज्ञापन देखकर सही कोड भरें.

16. मुख्य परीक्षा का पहला वैकल्पिक विषय	
1	2

विज्ञापन देखकर सही कोड भरें.

17. मुख्य परीक्षा का दूसरा वैकल्पिक विषय	
0	3

18. घोषणा

1. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है इस आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा की गई प्रविष्टियां सच, पूरी और सही हैं. यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाये या परीक्षा से पहले या बाद में अपात्रता का पता चल जाये तो आयोग मेरे विरुद्ध रोजगार और नियोजन में यथा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम के नियम 14 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है.
2. मैंने परीक्षा के नियमों तथा आयोग के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं एतद् द्वारा उनके पालन का वचन देता/देती हूं मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं उक्त परीक्षा के लिए निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यताओं आदि में संबद्ध पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता/करती हूं.
3. मैंने अपने कार्यालय/विभाग प्रमुख को लिखित रूप में सूचित कर दिया है कि मैं इस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा/रही हूं.
4. मैं परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं.

आवेदक के हस्ताक्षर

रामानंद प्रसाद	Ramanand prasad
(हिन्दी में)	(अंग्रेजी में)

स्थान : रायपुर

तारीख : 14-7-03

(अहस्ताक्षरित आवेदन-पत्र रद्द किया जायेगा)

10. निरंतर

विशेष :

(1) बैंक ड्राफ्ट अत्यंत सावधानी से भरें. अपूर्ण/गलत भरे ड्राफ्ट के कारण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा.

(2) बैंक ड्राफ्ट निर्धारित स्थान पर स्टेपल करें अन्य किसी स्थान पर नहीं अन्यथा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा.

(3) केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत मान्य होंगे. अन्य प्रदेशों के उम्मीदवारों को अनारक्षित उम्मीदवारों के समान ही पात्रता होगी.

(4) बैंक ड्राफ्ट सचिव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के नाम से बनवाकर भेजा जाये. बैंक ड्राफ्ट के पीछे आवेदक अपना पूरा नाम, जारी करने वाले बैंक-ब्रांच का नाम, पता तथा "राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2003" अवश्य लिखें.

परिशिष्ट-चार (04)

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश
राज्य सेवा परीक्षा

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों. निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भागी होगा, जो आयोग निर्धारित करे.

एक **प्रवेश –**

1. परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है.
2. परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी. केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जायेगा. नियत समय के 15 मिनिट पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा.
3. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र हमेशा अपने साथ रखें.
4. अर्हता सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व परीक्षार्थियों का स्वयं का है वे आश्वस्त हों कि नियमों के अधीन वे परीक्षा में प्रवेश की अर्हता रखते हैं. यदि ऐसा न हो तो वे परीक्षा में न बैठें.

दो **निर्गमन –**

1. सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी. निरीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा.
2. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी. भले ही उसने प्रश्न-पत्र हल कर लिया हो.
3. प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/निरीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका एकत्रित किये जाने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा. उत्तरपुस्तिका सहित कक्ष से बाहर जाना अनुचित साधन प्रयोग के समान दंडनीय है.
4. निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा. अतः निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा.

तीन **नाम और अनुक्रमांक –**

उत्तरपुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें. उत्तरपुस्तिका के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक न अपना नाम और न ही पता अंकित करें. उत्तरपुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है.

चार **अनुचित साधन –**

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट पर, सीट के निकट, उनके पास कम्पास, स्केल या पाकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज आदि नहीं हैं. वे अनुचित साधन के प्रयोग से बचें.

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दंडनीय है, परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जायेगा. इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी उत्तरपुस्तिका से नकल करना अथवा अपनी उत्तरपुस्तिका से अन्य परीक्षार्थी को नकल कराना किसी अन्य परीक्षार्थी से उत्तरपुस्तिका बदलना, परीक्षा भवन में बोलना अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न-पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत माना जायेगा. परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं एवं साक्षात्कारों से वंचित किये जाने का दंड दिया जा सकेगा. इस संबंध में निर्देश 8 भी देखें.

पांच **प्रश्न-पत्र से संबंधित शिकायत –**

यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न-पत्र से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत हो तो उसे लिखित रूप से केन्द्राध्यक्ष के माध्यम से या अलग से परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा तिथि से 15 दिन के अन्दर रजिस्ट्री पोस्ट से भेज सकेंगे. परीक्षा तिथि के 15 दिन के भीतर ही आयोग कार्यालय में प्राप्त शिकायतों पर विचार किया जायेगा.

छह **उत्तर शीट का लौटाना –**

परीक्षा के उपरांत उत्तरपुस्तिका निरीक्षक को सौंपेंगे. परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में उत्तरपुस्तिका परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना कदाचरण माना जावेगा और इसके लिए उसे उस तरह दण्डित किया जावेगा, जिस तरह अनुचित साधनों के प्रयोग से दण्डित किये जाने का प्रावधान है.

सात उत्तरपुस्तिका पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियां –

1. उत्तरपुस्तिका पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड भरें.
2. उत्तरपुस्तिका पर कोई दाग/चिन्ह न लगने पाये, इस बात की सतर्कता बरतें.

आठ प्रश्न–पत्र पर अंकन –

परीक्षार्थी प्रश्न–पत्र पर भी अनुक्रमांक लिखें तथा रफ कार्य प्रश्न–पत्र में दिये गये पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्न–पत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्न–पत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है.

नौ उपस्थिति पत्रक –

प्रत्येक प्रश्न–पत्र के समय परीक्षा कक्ष में निरीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें. यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों.

दस सहलेखक –

(अ) केवल दृष्टिहीन आवेदकों को प्रारंभिक परीक्षा में 20 मिनिट एवं मुख्य परीक्षा में 30 मिनिट अतिरिक्त समय दिया जायेगा.

(ब) ऐसे परीक्षार्थी जिनके दोनों हाथ नहीं है या अपने दाएं–बाएं हाथों का उपयोग नहीं कर सकते हैं उन्हें केवल सहायक लेखक की सुविधा दी जायेगी, समय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं दी जायेगी. सहायक लेखक की सुविधा प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थी कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिये परीक्षा तिथि के पूर्व आयोग कार्यालय में संपर्क करें.

नोट – अ और ब पर दर्शाये दोनों प्रकार के विकलांग आवेदकों के लिए सी. एम. ओ. (मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी) या सिविल सर्जन का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा. प्राइवेट डॉक्टर का प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा. अन्य नियम यथावत रहेंगे.

ग्यारह विविध –

1. परीक्षार्थी सभी विषयों के प्रश्न–पत्रों में (इसमें सामान्य अध्ययन सम्मिलित है) साधारण (Non scientific) केलक्यूलेटर का उपयोग कर सकेंगे. परीक्षार्थी आपस में केलक्यूलेटर की अदला–बदली नहीं करेंगे.
2. किसी भी इंजीनियरिंग विषय के किसी भी प्रश्न–पत्र में कोई भी चार्ट या टेबल (मोईलर चार्ट या स्टीम टेबल सहित) परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है.
3. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्न–पत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जायेगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लायेंगे.
4. परीक्षार्थियों को अपने साथ डिजिटल डायरी, वाच केलक्यूलेटर, सेलुलर फोन और पेजर लाना कतई मना है.

बारह परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका एवं प्रश्न–पत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व उनका पालन करें. वे सतर्कता से इस उत्तरदायित्व को वहन करें.

तेरह अनुशासन व शालीनता –

1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना अथवा अशिष्ट अनर्गल, वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है.
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर निरीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है.
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाना चाहिए. यह दण्डनीय है.
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट उद्दण्ड आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा. उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे. केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किये जायें. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा.

चौदह परीक्षार्थी को एक बार आवंटित परीक्षा संस्था या परीक्षा केन्द्र में प्रशासकीय सुविधा के अनुसार यथा आवश्यकता, यथा समय आयोग द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा. यह परिवर्तन परीक्षा के दौरान भी किया जा सकेगा.

टीप **परीक्षार्थी (आवेदक) इस निर्देश एवं अनुदेश को अपने पास ही रखें. आवेदन–पत्र के साथ लिफाफे में भरकर आयोग को न भेजें.**

डॉ. के. बी. सिंह,
परीक्षा नियंत्रक.

परिशिष्ट-चार (04)

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढी जाने वाली उत्तरपुस्तिकाओं के उपयोग संबंधी निर्देश

टीप – उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा. अतः उत्तरपुस्तिका का उपयोग नीचे बताई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानीपूर्वक करें.

1. आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम एक बाल पेन, दो एच. बी. पेन्सिल एवं एक पेन्सिल शार्पनर व रबर अवश्य लाएं.
2. गोले भरने के लिए केवल एच. बी. पेन्सिल का ही उपयोग करें. अन्य किसी पेन्सिल या स्याही या बाल पेन का उपयोग न करें. गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा, अस्पष्ट या हल्का काला करने पर उत्तरपुस्तिका स्कैनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी.
3. उत्तरपुस्तिका पर किसी प्रकार का रफ कार्य न किया जाए. इस कार्य के लिए प्रश्न-पत्र पर अलग से स्थान निर्धारित हैं.
4. उत्तरपुस्तिका अत्यंन्त सावधानीपूर्वक रखें. उसे किसी तरह से मोडा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा.
5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि उत्तरपुस्तिका पर सभी प्रविष्टियां सही रूप से की गई है.
6. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है. एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने या किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (X) लगाने पर उत्तरपुस्तिका कम्प्यूटर/ऑप्टीकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जायेगी.
7. **उत्तरपुस्तिका पर अंकन के लिए – सामान्य निर्देश –**

   (अ) प्रश्नों के उत्तर : उत्तरपुस्तिका पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं. इन्हें ध्यान से पढें. प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उत्तरपुस्तिका पर आवश्यक संख्या लिखी है. प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए. बी. सी. डी. बने हैं प्रश्न-पत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर ए. बी. सी. डी. दिए हैं. इनमें से केवल एक उत्तर सही है, सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला एच. बी. पेन्सिल से गहरा काला करें.

   (ब) उत्तरपुस्तिका के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, जन्मतिथि, परीक्षा तिथि, ऐच्छिक विषय का कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए बाल पेन का उपयोग करें.

   (स) हस्ताक्षर – उत्तरपुस्तिका पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें.

   (द) उत्तरपुस्तिका के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, जन्मतिथि, श्रेणी, ऐच्छिक विषय संकेतांक के कालम के गोलों में प्रविष्ट करने के लिए एच. बी. पेन्सिल का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें.

8. **रोल नं. की प्रविष्टि (चित्र एक)**

रोल नं. के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तंभ हैं. पहला स्तंभ लाख का, दूसरा स्तंभ दस हजार का, तीसरा स्तंभ हजार का, चौथा स्तंभ सैकडा का, पांचवा स्तंभ दहाई का एवं छटा स्तंभ इकाई का है. इसके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं. इन्हीं में आपको अपने रोल नं. भरना है. उदाहरणार्थ यदि आपका

रोल नं. चित्र 1

6	8	4	0	2	1
0	0	0	●	0	0
1	1	1	1	1	●
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	●	4	4	4
5	5	5	5	5	5
●	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	●	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाये अनुसार रोल नं. पेन्सिल से लिखें तत्पश्चात् पहले स्तंभ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तंभ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तंभ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तंभ के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्तंभ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तंभ के गोले क्रमांक 1 को पेन्सिल से गहरा काला करें.

9. **जन्मतिथि की प्रविष्टि (चित्र दो)**

जन्मतिथि के खाने में दिनांक (DD) मास (MM) तथा वर्ष (YY) इस तरह तीन काल बने हैं. आप अपनी जन्मतिथि के अनुसार उपयुक्त खानों को भरें. जैसे आपकी जन्मतिथि 15 सितम्बर 71 है. तो आप दिनांक (DD) के कालम में दहाई के खाने में 1 का तथा इकाई के खाने में 5 का गोला गहरा काला करेंगे. मास के कालम में Sep. के सामने का गोला गहरा काला करेंगे तथा वर्ष के कालम में दहाई के खाने में 7 का तथा इकाई के कालम में 1 का गोला गहरा काला करेंगे.

जन्मतिथि चित्र 2

1	5	SEP		7	1
DD		MM		YY	
☐	☐	Jan		☐	☐
⓪	⓪	Feb	○	⓪	⓪
●	①	Mar	○	①	●
②	②	Apr	○	②	②
③	③	May	○	③	③
	④	Jun	○	④	④
	●	July	○	⑤	⑤
	⑥	Aug	○	⑥	⑥
	⑦	Sep	●	●	⑦
	⑧	Oct	○	⑧	⑧
	⑨	Nov	○	⑨	⑨
	⓪	Dec	○	⓪	⓪

10. **श्रेणी की प्रविष्टि (चित्र तीन)**

इस खाने में 2 स्तंभ दिए गए हैं, पहला स्तंभ दहाई, दूसरा स्तंभ इकाई है. इनके नीचे 0 से 4 तक के अंक दिए गए हैं. आप अपनी श्रेणी कोड नं. के अनुसार उपयुक्त गोलों को एच. बी. पेन्सिल से गहरा काला करें. जैसे- यदि आपकी श्रेणी 02 है तो दहाई के कालम में 0 तथा इकाई के कालम में 2 को काला करें.

11. ऐच्छिक विषय कोड क्र. की प्रविष्टि (चित्र चार) का तरीका : उदाहरणार्थ यदि आपका ऐच्छिक विषय कोड क्रमांक 02 है तो दहाई के कालम में 0 को पेन्सिल से गहरा काला करें तथा इकाई के दूसरे कालम में 2 को काला करें.

-: विशेष सूचना :-

प्रवेश-पत्र की प्रविष्टियां में त्रुटियां

आवेदक उसे प्राप्त प्रवेश-पत्र में की गई प्रविष्टियों की जांच करें तथा किसी प्रकार की त्रुटि हो तो वे त्रुटि के निराकरण के लिये परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के नाम से निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश करते हुए एक आवेदन-पत्र दें.

(1) त्रुटि का प्रकार (2) त्रुटि में वांछित सुधार (3) आवेदक का नाम (4) पिता/पति का नाम (5) पता (6) जन्मतिथि (7) अनुक्रमांक (8) प्रविष्टि क्रमांक (9) केन्द्र का नाम.

विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा. आवेदन-पत्र में भरा विषय कोड क्रमांक ही मान्य होगा.

यात्रा भत्ता -

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को मूल निवास, यात्रा का प्रमाण-पत्र एवं जाति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर परीक्षा केन्द्र से यात्रा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी.

परिशिष्ट-चार (04)

छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2003 आवेदन-पत्र भरने हेतु सहायता निर्देश

रोजगार और नियोजन में छपे आवेदन-पत्र को ही प्रयोग में लाएं. इसकी छायाप्रति, टंकित प्रति मान्य नहीं की जायेगी.

इस आवेदन-पत्र को भरने से पहले आप-(1) एक काली या या नीली स्याही का बाल पेन (2) 4" x 9" का एक लिफाफा (3) रुपये 6 का टिकट लगा एक पोस्ट कार्ड रख लें.

आवेदन-पत्र क्रमांक को नोट कर अपने पास रखें. परीक्षा संबंधी पत्राचार में इस क्रमांक को संदर्भ के रूप में लिखें.

आइये अब प्रत्येक क्रमांक को क्रमवार भरें.

1. आवेदक अपना 3.5 x 4.5 सेंटीमीटर आकार का नवीनतम फोटो ही चिपकाएं. स्टेपल या पिन से ना लगायें. फोटो के नीचे बने खाने में ही अपने हस्ताक्षर करें. याद रखें कि ये ही हस्ताक्षर आपको आवेदन-पत्र में हर उस स्थान पर करने हैं जहां आपसे हस्ताक्षर मांगे जाएं.

2. आवेदक अपना पूरा नाम (जिसमें नाम, मध्य नाम और उपनाम सम्मिलित है) बाक्सों में काली या नीली स्याही के बाल पेन से लिखें. निर्देशानुसार अंग्रेजी में और प्रत्येक भाग के पश्चात् एक बाक्स खाली छोड़ते हुए.

यथा :- आवेदक का नाम (अंग्रेजी में लिखें) नाम के दो भागों के बीच में एक बाक्स को खाली छोड़ें.

R	A	M	A	N	A	N	D		P	R	A	S	A	D
S	E	N	G	U	P	T	A							

3. (अ) आवेदक अपनी माता का केवल नाम अंग्रेजी में काली या नीली स्याही के बाल पेन से लिखें.

(ब) आवेदक अपने पिता का केवल नाम अंग्रेजी में काली या नीली स्याही के बाल पेन से लिखें. यथा :-

(अ) माता का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम) (अ)

P	R	A	B	H	A					

(ब) पिता का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम) (ब)

A	M	A	R							

4. (अ) आवेदिका यदि विवाहित हो तो अपने पति का केवल नाम अंग्रेजी में काली या नीली स्याही के बाल पेन से लिखें.

(ब) आवेदक यदि विवाहित हो तो अपनी पत्नी का केवल नाम अंग्रेजी में काली या नीली स्याही के बाल पेन से लिखें. यथा :-

(अ) पति का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम)

(ब) पत्नी का नाम (अंग्रेजी में केवल नाम)

L	A	X	M	I		

नोट : जो कालम उपयोगी ना हो उन्हें खाली छोड़ दें. नमूने के फार्म में पति का नाम खाली छोड़ा गया है.

5. आवेदक अपना पता बड़े अक्षरों में (CAPITAL LETTERS) में काली या नीली स्याही के बाल पेन से साफ-साफ लिखें. यदि केवल एक ही पता हो (अर्थात केवल स्थायी या केवल वर्तमान पता ही हो) तो जो पता ना हो उसके सामने की रेखा पर आड़ी (---------) लकीर खींच दें या SAME लिख दें.

कृपया नोट करें-आयोग कार्यालय आपको आपका प्रवेश-पत्र पता क्रमांक-1 पर ही भेजेगा.

आवेदक का पता (अंग्रेजी में लिखें)

नाम	SHRI RAMANAND PRASAD SENGUPTA		
पता	HOUSE NO-B/414		
(1) वर्तमान			
ग्राम/नगर	SHANKER NAGAR	जिला	RAIPUR
राज्य	CHHATTISGARH	पिंन	492001
(2) स्थायी	VILLAGE PATAN		
ग्राम/नगर	PATAN	जिला	DURG
राज्य	CHHATTISHGARH	पिन	491111

नोट :- आवेदक का नाम वर्तमान पता, स्थायी पता सभी उदाहरणार्थ हैं वास्तविक नहीं.

6. आवेदक जिस लिंग का हो उसके सामने वाले गोले को काली या नीली स्याही के बाल पेन से पूरी तरह काला कर दें. बाक्स में काली या नीली स्याही के बाल पेन से काले किये गोले में लिखा नम्बर लिख दें. यथा :-

लिंग		
पुरुष	●	1
महिला	②	

अर्थात् आवेदक पुरुष है.

नोट :- आवेदक कृपया काले किए गोले ○ का क्रमांक ही उसके ऊपर दिए बाक्स □ में लिखें. काले किए गोले ○ के क्रमांक और बाक्स □ में लिखें. अंक में अंतर आने पर बाक्स □ में लिखा अंक ही मान्य किया जायेगा. अतः ○ गोले एवं बाक्स □ अत्यंत सावधानी से भरें.

7. आवेदक अपनी वस्तुस्थिति के सामने वाले गोले को काली या नीली स्याही वाले बाल पेन से काला करें. तद्नुसार बाक्स में गोले में लिखा नंबर लिख दें.

यथा :-

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं		
हां	●	1
नहीं	②	

अर्थात् आवेदक छ. ग. का मूल निवासी है.

8. आवेदक अपनी सही श्रेणी काली या नीली स्याही के बाल पेन से संबंधित गोला काला कर दर्शायें. बाक्स में काली या नीली स्याही के बाल पेन से गोले में लिखा नम्बर लिख दें. यथा:-

श्रेणी		
अनारक्षित	●	1
अ. जा.	②	
अ. ज. जा.	③	
अ. पि. व.	④	

अर्थात् आवेदक की श्रेणी अनारक्षित है.

विशेष – श्रेणी संबंधित जानकारी सही दें व पूरी सावधानी से अपनी श्रेणी के सामने वाला गोला काला करें. यदि आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी नहीं है तो उसकी श्रेणी अनारक्षित ही मानी जावेगी. अर्थात् कोई भी आरक्षित श्रेणी की छूट आवेदक को नहीं दी जावेगी. गलत जानकारी ना दें क्योंकि इससे आपकी उम्मीदवारी निरस्त हो सकती है.

9. आवेदक अपनी सही जन्म की तारीख (जो दसवीं या बारहवीं की अंक-सूची या प्रमाण-पत्र में अंकित हो) काली या नीली स्याही के बाल पेन से संबंधित दिन, माह, वर्ष का गोला/गोलों को काला कर दर्शायें. दिन, माह, वर्ष के ऊपर दिये बाक्सों में काली या नीली स्याही के बाल पेन से उन अंक/अंकों को भर दें, जिन्हें काला किया है.

यथा :-

जन्म की तारीख					
D	D	M	M	Y	Y
2	3	0	4	7	8
①	①	①	①	①	①
●	②	●	②	②	②
③	●		③	③	③
⓪	④		●	④	④
	⑤		⑤	⑤	⑤
	⑥		⑥	⑥	⑥
	⑦		⑦	●	⑦
	⑧		⑧	⑧	●
	⑨		⑨	⑨	⑨
	⓪		⓪	⓪	⓪

अर्थात् आवेदक की जन्म तारीख 23-4-78 है (जैसा कि गोले काले किये गये हैं एवं उनके ऊपर दिए बाक्स भरे गये हैं)

विशेष – जन्म तारीख सही देवें. सुनिश्चित कर लें कि आप आयु सीमा में हैं. यदि आपकी उम्र कम या ज्यादा है तो आप आवेदन न करें. यदि ज्यादा है तो कृपया सुनिश्चित कर लें कि आयु में छूट किस नियम के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं तभी आवेदन करें. कम या अधिक (निर्धारित) आयु के आवेदक परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे. आयु की गणना दिनांक 1-1-2004 के संदर्भ में की जायेगी. विज्ञापन में आयु सीमा के संबंध में दिये निर्देश सावधानी से पढ़कर ही आवेदन-पत्र भरें.

2. आयु में छूट केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिये ही है.

10. परीक्षा शुल्क का विवरण निर्देशानुसार देवें. आवेदक अपना शुल्क केवल बैंक ड्राफ्ट से आयोग को भेजें. शुल्क का पूर्ण विवरण काली या नीली स्याही के बाल पेन से ही लिखें. यथा :-

10. परीक्षा शुल्क का विवरण			
1.	आवेदक का नाम	:	श्री रामानंद प्रसाद सेनगुप्ता
2.	जन्म स्थान	:	शहर रायपुर, जिला रायपुर राज्य छत्तीसगढ़
3.	क्या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं.	:	हां
4.	श्रेणी	:	अनारक्षित
5.	राशि	:	रु. 150 (एक सौ पचास रु.)
6.	बैंक ड्राफ्ट क्रमांक	:	00587 दिनांक 14-7-2003
7.	जारीकर्ता बैंक का नाम एवं कोड.	:	भारतीय स्टेट बैंक, कचहरी शाखा, रायपुर-03314
(कृपया पृष्ठ भाग पर दिये निर्देशों को ध्यान से पढ़ें)			

नोट :- बैंक ड्राफ्ट क्रमांक, बैंक का नाम, बैंक कोड सभी उदाहरणार्थ है. वास्तविक नहीं.

महत्वपूर्ण :- बैंक ड्राफ्ट अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क से भरकर प्रस्तुत करें. यदि अनारक्षित हैं तो 150/- रुपये का यदि आरक्षित हैं तो 75/- रुपये का. आरक्षित श्रेणी ऐसे आवेदक जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हों वे ही आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिये मान्य होंगे. छत्तीसगढ के बाहर के सभी आवेदक अनारक्षित की श्रेणी में आएंगे. वे तद्नुसार ही शुल्क भरेंगे.

2. (अ) बैंक ड्राफ्ट सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के नाम पर हो.

3. बैंक ड्राफ्ट आवेदन-पत्र के भाग-II पर तीसरे मोड़ के नीचे निर्देशित स्थान पर स्टेपल करें. इस स्थान के ऊपर कदापि न लगाएं.

11. शारीरिक रूप से विकलांग आवेदक अपनी स्थिति के अनुसार गोला काला करें. यदि विकलांग हैं तो हां अर्थात् (1) लिखें. यदि विकलांग नहीं है तो गोला (2) काली या नीली स्याही के बाल पेन से काला करें. तद्नुसार बाक्स में काले किये गोले का क्रमांक लिखें. साथ ही जिस प्रकार से शारीरिक रूप से बाधित हो उसके सामने के गोले को काला कर बाक्स में तद्नुसार क्रमांक काली या नीली स्याही के बाल पेन से लिखें. अर्थात् नीचे दिये खाने में विकलांगता के स्वरूप का विवरण उसके सामने बने गोले को काला कर दें. गोले के क्रमांक को बाक्स में लिखें.

शारीरिक रूप से विकलांग है		
हां	●	1
नहीं	②	
यदि हां तो बताएं		1
अस्थिबाधित	●	
दृष्टिहीन	②	
मूक बधिर	③	
प्रमाण-पत्र संलग्न करें.		

अर्थात् आवेदक विकलांग है और वह विकलांगता अस्थिबाधित स्वरूप की है.

महत्वपूर्ण :-

(1) प्रमाण-पत्र संलग्न करना ना भूलें. उसे स्टेपल निर्धारित स्थान पर ही करें अर्थात् भाग II, तीसरे मोड़ के नीचे.

(2) लिफाफे पर ''विकलांग आवेदक'' अनिवार्यतया लिख दें.

12. यदि आवेदक भूतपूर्व सैनिक है तो ''हां'' अर्थात् क्रमांक (1) गोला काला करें व बाक्स में काली या नीली स्याही के बाल पेन से 1 लिखें. यदि आवेदक भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो गोला क्रमांक (2) काली या नीली स्याही के बाल पेन से काला करें. तद्नुसार बाक्स में क्रमांक लिखें.

भूतपूर्व सैनिक हैं		
हां	①	2
नहीं	●	
प्रमाण-पत्र संलग्न करें.		

अर्थात् आवेदक भूतपूर्व सैनिक नहीं है.

महत्वपूर्ण :- यदि आवेदक भूतपूर्व सैनिक है तो :

(1) प्रमाण-पत्र संलग्न करना ना भूलें उसे स्टेपल निर्धारित स्थान पर ही करें अर्थात् आवेदन-पत्र के भाग-II तीसरे मोड के नीचे.

(2) लिफाफे पर ''भूतपूर्व सैनिक'' अवश्य लिखें.

13. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा छत्तीसगढ़ के 16 जिला मुख्यालयों पर संपादित की जायेगी. केन्द्र का कोड क्रमांक, रोजगार और नियोजन के विज्ञापन (आवेदन-पत्र के साथ दिये) में अच्छी तरह देखकर काली या नीली स्याही के बाल पेन से उक्त केन्द्र के क्रमांक वाले गोले को काला करें. तद्नुसार बाक्स में उक्त क्रमांक को काली या नीली स्याही के बाल पेन से लिखें. यथा

विज्ञापन देखकर सही कोड भरें.

प्रारंभिक परीक्षा केन्द्र कोड	
0	3
①	①
②	②
③	●
④	④
●	⑤
	⑥
	⑦
	⑧
	⑨
	⓪

अर्थात् केन्द्र का नाम 03 जो कि बिलासपुर का है, आवेदक द्वारा भरा गया है.

विशेष -

1. एक बार भरा केन्द्र सामान्यतः बदला नहीं जायेगा.
2. केन्द्र के लिए विकल्प छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही भरें. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को भी स्थान की अनुपलब्धता एवं अन्य प्रशासनिक कारणों से मांगे गये केन्द्र के स्थान पर अन्य परीक्षा केन्द्र दिया जा सकता है. इस संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा.
3. छत्तीसगढ़ के बाहर के आवेदकों को केन्द्र आवंटन आयोग द्वारा किया जायेगा.
4. टी. ए. की सुविधा की दृष्टि से अ. जा./अ. ज. जा./अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों से अपेक्षा है कि वे अपने निवास स्थान से निकटतम केन्द्र ही भरें.
5. आवश्यकतानुसार केन्द्र बढ़ाये/घटाये जा सकते हैं जिसकी सूचना (केन्द्र कोड एवं केन्द्र का नाम केन्द्राक के साथ) आवेदक को प्रवेश-पत्र में दी जाएगी.

14. मुख्य परीक्षा केवल रायपुर एवं बिलासपुर केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी. आवेदक अच्छी तरह विज्ञापन में इन संभाग और उनके केन्द्र क्रमांक को, देखकर ही काली या नीली स्याही के बाल पेन से संबंधित क्रमांक का गोला काला करें. तद्नुसार उस क्रमांक को काली या नीली स्याही के बाल पेन से बाक्स में लिखें. यथा :-

विज्ञापन देखकर सही कोड भरें.

मुख्य परीक्षा केन्द्र कोड
2
①
●

अर्थात् केन्द्र क्रमांक 02 जो कि रायपुर है आवेदक द्वारा भरा गया है.

15. प्रारंभिक परीक्षा के आवेदक को कुल 23 वैकल्पिक विषयों में केवल एक वैकल्पिक विषय लेना होगा. विज्ञापन में भलीभांति देखकर अपने विषय का सही कोड क्रमांक आवेदन-पत्र के संबंधित गोले में काली या नीली स्याही के बाल पेन से काला कर दर्शायें. तद्नुसार सही कोड क्रमांक बाक्स/बाक्सों में काली या नीली स्याही के बाल पेन से लिखें. राज्य सेवा परीक्षा नियम में परिशिष्ट एक में विषय के सरल क्रमांक ही कोड नं. है.

विज्ञापन देखकर सही कोड भरें.

प्रारंभिक परीक्षा का वैकल्पिक विषय	
2	3
①	①
●	②
⓪	●
	④
	⑤
	⑥
	⑦
	⑧
	⑨
	⓪

अर्थात् आवेदक ने अपराध शास्त्र विषय प्रारंभिक परीक्षा में लिया है जिसका कोड क्रमांक 23 है.

16. मुख्य परीक्षा में 29 वैकल्पिक विषय है. विज्ञापन में विषय का सही कोड देखकर विषय कोड क्रमांक काली या नीली स्याही से काला करें. यह विषय कोड प्रारंभिक परीक्षा से भिन्न है. अतः सावधानीपूर्वक कोड देखकर चयनित विषय का कोड क्रमांक बाक्स में लिखें. यथा :-

विज्ञापन देखकर सही कोड भरें.

मुख्य परीक्षा का पहला वैकल्पिक विषय	
2	8
①	①
●	②
③	③
	④
	⑤
	⑥
	⑦
	●
	⑨
	⓪

अर्थात् आवेदक ने अपराध शास्त्र विषय मुख्य परीक्षा में लिया है जिसका कोड क्रमांक 28 है जबकि प्रारंभिक परीक्षा में इस विषय का कोड क्रमांक 23 है. अतः आवेदक विज्ञापन में भलीभांति देखकर ही विषय कोड का गोला क्रमांक काली या नीली स्याही के बाल पेन से काला करें. तद्नुसार यह क्रमांक बाक्स/बाक्सों में नीली या काली स्याही के बाल पेन से लिखें.

विज्ञापन देखकर सही कोड भरें.

मुख्य परीक्षा का दूसरा वैकल्पिक विषय	
0	7
①	①
②	②
●	③
	④
	⑤
	⑥
	●
	⑧
	⑨
	⓪

17. दूसरा वैकल्पिक विषय भी ऊपर बताये अनुसार, विज्ञापन देखकर सही विषय कोड क्रमांक का गोला काली या नीली स्याही के बाल पेन से काला करें तद्नुसार काली या नीली स्याही के बाल पेन से सही कोड क्रमांक बाक्स/बाक्सों में भरें. यथा 07 क्रमांक भरने पर विषय अर्थशास्त्र होगा. राज्य सेवा परीक्षा नियम में परिशिष्ट एक में विषय के सरल क्रमांक ही कोड नं. है.

18. आवेदक घोषणा को अच्छी तरह पढ़कर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में अपने हस्ताक्षर करें. बिना हस्ताक्षर के आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा.

विशेष : आवेदक रुपये 6 (छः) के टिकट लगे पोस्टकार्ड पर अपना पता (जिस पर आवेदन प्राप्ति की सूचना भेजी जायेगी.) स्पष्ट अक्षरों में लिखें. इसे आवेदन-पत्र के लिफाफे में रखकर भेजें. स्टेपल या पिन ना करें. छः रुपये मूल्य के टिकट लगे स्वयं का पता लिखे पोस्टकार्ड के अभाव में आयोग कार्यालय द्वारा प्राप्ति भेजना संभव नहीं होगा.

19. **विशेष को अच्छी तरह पढ़कर सुनिश्चित कर लें कि आपने यह कार्यवाही निर्देशानुसार पूरी कर ली है.** अब आवेदक ने अपना आवेदन-पत्र पूरा भर लिया है एक बार पुनः सभी 18 बिन्दुओं का निरीक्षण परीक्षण कर लें.

याद रखें : (1) इस पर बैंक ड्राफ्ट स्टेपल करना है. (आवेदन-पत्र भाग-II तीसरे मोड़ के नीचे) (2) यदि विकलांग या भूतपूर्व सैनिक है तो उसके प्रमाण-पत्र स्टेपल करना है. इसके अलावा कोई भी प्रमाण-पत्र यहां ना लगावें. आवेदन-पत्र को सही मोड़ों पर मोड़ कर 4" x 9" के लिफाफे में रखें अन्यथा स्केनिंग करना संभव नहीं होगा.

लिफाफे पर पता लिखें :-

प्रति,

सचिव,

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,

शंकर नगर रोड,

रायपुर-492001

छत्तीसगढ़

यदि विकलांग या भूतपूर्व सैनिक हैं तो वैसा लिफाफे पर लिखें. सभी आवेदकों को लिफाफे पर छत्तीसगढ़ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2003 लिखना होगा. अब इस लिफाफे को रजिस्ट्री/यू. पी. सी./साधारण डाक या स्वयं आयोग कार्यालय को प्रेषित करें. ध्यान रखें कि यह आवेदन-पत्र दिनांक 21-8-2003 को 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त हो जावे.

परीक्षा नियंत्रक

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, धमतरी, छ. ग.

प्र. क्र. 2/ब-113/ वर्ष 2002-03.—आवेदक राजेन्द्र गुप्ता पिता श्री राम गुप्ता निवासीधमतरी तहसील एवं जिला धमतरी एवं अन्य आठ ने "श्री गणेश मंदिर न्यास" गणेश चौक धमतरी का मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1951 की धारा 4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति को लोक न्यास रूप में पंजीयन किये जाने आवेदन प्रस्तुत किया है.

अत: सर्वसाधारण हितार्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई दिनांक 10-9-2003 को न्यायालय अवधि में रखी जावेगी. संबंधित पक्षकार जो उक्त ट्रस्ट का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस अधिसूचना के निकलने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें. और पेशी दिनांक को स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित होवें. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(1)	अचल संपत्ति का विवरण	:	ग्राम-धमतरी मराठापारा में स्थित मंदिर मराठापारा शीट क्र. 33 डी भू-खंड का नंबर 297 भू-खंड का कुल क्षेत्रफल 13 वर्ग मी.
(2)	चल सम्पत्ति	:	ट्रस्ट की चल सम्पत्ति 3014 रुपये है. जो जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा-धमतरी में जमा है.

जी. आर. राना
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

संचालन, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित 2003